प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 22.03.2026

जहरखुरानी कर लूट का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से लूट का सामान, 1150 रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा लूट के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में ,पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कैण्ट के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 133/2026 धारा 123,140(1),309(4),309(6) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त अर्जुन यादव पुत्र राजेंद्र यादव निवासी देवरा तुर्क चारा (सहाय का पूरा) थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को लूट के सामान, 1150 रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.03.2026 को वादिनी के पति दुबई से गोरखपुर पंहुचे, गोरखपुर से अपने घर जाने के लिए चारपहिया वाहन में बैठें जिसमें पहले से कुछ लोग बैठे थे। रास्ते में गाड़ी में गाड़ी चला रहे अभियुक्त अर्जुन द्वारा वादिनी के पति को पानी पीने के लिए दिया गया जिससे वह बेहोश हो गए जिसके उपरान्त अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर वादिनी के पति के जेब से 3000 रूपये, मोबाइल व सामान लूट लिया गया एवं उन्हे गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

अपराध का तरीका-

अभियुक्त अर्जुन यादव उपरोक्त द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जहरखुरानी का अपराध कारित किया जाता है। अर्जुन यादव द्वारा कार ड्राइवर का कार्य किया जाता है तथा अभियुक्त के अन्य सहयोगी अपना बैग, झोला व अन्य समान लेकर रोडवेज व रेलवे स्टेशन के बाहर वाहन का इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई यात्री इनके पास आता है तो उससे पूछते है कि आपको कहा जाना है, यात्री को जहां जाना होता है स्वयं को भी वहीं जाना है बताकर अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं और रास्ते में कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अर्जुन यादव पुत्र राजेंद्र यादव निवासी देवरा तुर्क चारा (सहाय का पूरा) थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

पंजीकृत मु0अ0सं0 133/2026 धारा 123,140(1),309(4),309(6),317(2) बीएनएस थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

लूट का सामान, 1150 रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त वाहन

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 आशीष कुमार दुबे चौकी प्रभारी पैडलेगंज थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अवनीश कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी गोलघर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. का0 मंगलदीप यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर